

न्यायालय उपखण्डाधिकारी सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी का नाम :- हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 022/ 2020

- 1 रामावतार पुत्र बृजमोहन जाति जांगिड़ ब्राह्मण निवासी सरदारपूरा जीवन तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
- 2 बलविन्द्र सिंह पुत्र बृजमोहन जाति जांगिड़ ब्राह्मण निवासी सरदारपूरा जीवन हाल आबाद 164 श्रीनगर कॉलोनी टोल टैक्स सांगानेर जयपूर तहसील व जिला जयपूर
- 3 दिनेश कुमार पुत्र बृजमोहन जाति जांगिड़ ब्राह्मण निवासी सरदारपूरा जीवन तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
- 4 बुधराम पुत्र काशीराम जाति जांगिड़ ब्राह्मण निवासी सरदारपूरा जीवन तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
- 5 रामनिवास पुत्र बुधराम जाति जांगिड़ ब्राह्मण निवासी सरदारपूरा जीवन तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
- 6 रामदयाल पुत्र बुधराम जाति जांगिड़ ब्राह्मण निवासी सदारपूरा जीवन तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

वादीगण

बनाम

- 1 काशीराम पुत्र हरीराम जाति जांगिड़ ब्राह्मण निवासी सरदारपूरा जीवन तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
 - 2 बृजमोहन पुत्र काशीराम जाति जांगिड़ ब्राह्मण निवासी सरदारपूरा जीवन तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सादुलशहर

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण :-

श्री रामकुमार सिहाग, राकेश सिहाग अधिवक्ता (वादीगण)


श्री सन्त कुमार अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 ता 5

राजपैरोकार वास्ते स्टेट

निर्णय

दिनांक :- 28.02.2020

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 88,53 आर.टी.ए. के तहत इन अभिकथनों के साथ प्रस्तुत किया कि चक 4 एस पी एम जमाबंदी सम्वत 2069-2072 खाता संख्या 13/11 प.न. 22/198 मु.न. 17 कि.न. 19, 20 में 0.506 है. नहरी मय खाला, कुल 0.506 है. नहरी मय खाला आराजी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज कागजात माल है। नकल जमाबंदी संलग्न वाद पत्र है। चक 1 एस पी एम जमाबंदी सम्वत 2071-2074 खाता संख्या 8/10 प.न. 27/198 मु.न. 58 कि.न. 16, 21 ता 25 में 1.518 है. नहरी मय गे.मु. रास्ता, कुल खाता 1.518 है. नहरी मय गे.मु. रास्ता आराजी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज कागजात माल है। नकल जमाबंदी संलग्न वाद पत्र है। चक 1 यू एम डब्ल्यू जमाबंदी सम्वत 2071-2074 खाता संख्या 9/7 मु.न. 11 कि.न. 16 ता 25 में 2.530 है. नहरी, मु.न. 14 कि.न. 1 ता 12 में 3.036 है. नहरी मय गे.मु. रास्ता आराजी कुल खाता 5.566 है. नहरी मय गे.मु. रास्ता आराजी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज कागजात माल है। नकल जमाबंदी संलग्न वाद पत्र है। वादीगण एव प्रतिवादीगण संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है एव


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

वादाधीन आराजी संयुक्त परिवार की सम्पति है जो कि वादाधीन आराजी प्रतिवादी संख्या 1 को विरासतन प्राप्त हुयी है एव वादीगण व प्रतिवादीगण हिन्दू विधि के मिताक्षरा स्कूल से शासित है जहां प्रत्येक सन्तान का सहदायिकी सम्पति में जन्म से ही कानूनन हक व हिस्सा बनता है एव वादीगण प्रतिवादीगण संख्या 1 के विधिक वारिसान होने के नाते वादाधीन आराजी में जन्म से ही कानूनन हक व हिस्सा रखते है जो कि वादीगण एव प्रतिवादीगण के मध्य वादाधीन आराजी का पारिवारिक बंटवारा हो चुका है एव मुताबिक पारिवारिक बंटवारा के अनुसार वादीगण एव प्रतिवादीगण अपने अपने हक हिस्सा की आराजी को शांतिपूर्वक काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। मद संख्या 6 में कब्जा काश्त का वर्णन किया गया। वादीगण के हक हिस्सा एव मुताबिक पारिवारिक बंटवारा अनुसार प्राप्त दावा की मद संख्या 6 में दर्ज आराजी राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण के नाम से दर्ज रिकॉर्ड नही होने के कारण वादीगण को पानी की बारी रकम अदायगी बैंक ऋण व अन्य सरकारी सुविधाओं का लाम लेने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है एव आराजी राजस्व रिकॉर्ड में मुताबिक पारिवारिक बंटवारा के अनुसार दर्ज नही होने के कारण वादीगण को अपने अपने हक हिस्सा की आराजी में डिग्गी निर्माण व बागवानी आदि में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है एव आपस में लड़ाई झगड़ा होने की सम्भावना बनी रहती है जिस कारण वादीगण अपने हक हिस्सा एव कब्जा काश्त की आराजी को मन लगाकर काश्त कर पाने में असमर्थ है इसलिए वादीगण अपने हक हिस्सा की आराजी की खातेदारी घोषणा प्राप्त कर मुताबिक पारिवारिक बंटवारा खाता अलग अलग कायम करवाने के कानूनन हक अधिकारी है। वादीगण ने कई बार प्रतिवादीगण से निवेदन किया कि वे लोग वादीगण को उनके हक हिस्सा एव कब्जा काश्त आराजी का मुताबिक पारिवारिक बंटवारा में प्राप्त आराजी का खातेदार काश्त काश्तकार स्वीकार कर लेवे व किसी सक्षम अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर आराजी राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण के नाम से दर्ज रिकॉर्ड करवा देवे तो पहले तो प्रतिवादीगण आज कल आज कल करते रहे परन्तु दिनांक 2.1.2020 को बमुकाम सरदारपूराजीवन में वादीगण की बात मानने से स्पष्ट रूप से ईन्कार हो गये बस यही बिनाये दावा है। वगैरा-वगैरा।



लिहाजा वाद वादीगण मय शपथ पत्र दो प्रतियों मे पेश कर निवेदन है कि :- (1) यह कि चक 1 यू एम डब्ल्यू जमाबदी सम्वत 2071-2074 खाता संख्या 9/7 मु.न. 11 कि.न. 16 में 0.253 है. नहरी, कि.न. 17 में 0.253 है. नहरी, कि.न. 18 में 0.253 है. नहरी कि.न. 19/1 में 0.084 है. नहरी कुल 0.843 है. नहरी आराजी का वादी संख्या 1 रामावतार को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एव इस हद तक प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जावे।(2) यह कि चक 1 यू एम डब्ल्यू जमाबदी सम्वत 2071-2074 खाता संख्या 9/7 मु.न. 11 कि. न. 19/2 में 0.169 है. नहरी, कि.न. 20 में 0.253 है. नहरी, कि.न. 21 में 0.253 है. नहरी, कि.न. 22/1 में 0.168 है. नहरी कुल 0.843 है. नहरी आराजी का वादी संख्या 2 बलविन्द्र सिंह को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एव इस हद तक प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जावे।(3) यह कि चक 1 यू एम डब्ल्यू जमाबदी सम्वत 2071-2074 खाता संख्या 9/7 मु.न. 11 कि.न. 22/2 में 0.085 है. नहरी, कि. न. 23 में 0.253 है. नहरी, कि.न. 24 में 0.253 है. नहरी, कि.न. 25 में 0.253 है. नहरी कुल 0.844 है. नहरी आराजी वादी संख्या 3 दिनेश कुमार को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एव इस हद तक प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जावे। (4) यह कि चक 1 यू एम डब्ल्यू जमाबदी सम्वत 2071-2074 खाता संख्या 9/7 मु.न. 14 कि.न. 3 में 0.253 है. नहरी, कि.न. 4 में 0.253 है. नहरी, कि.न. 5 में 0.215 है. नहरी, 0.038 है. गै.मु. रास्ता, कि.न. 6/1 में 0.084 है. नहरी कुल 0.843 है. नहरी मय गै.मु. आराजी का वादी संख्या 4 बुधराम को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एव

Eamsh
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

है. नहरी, कि.न. 4 में 0.253 है. नहरी, कि.न 5 में 0.215 है. नहरी, 0.038 है. गै.मु. रास्ता, कि.न. 6/1 में 0.084 है. नहरी कुल 0.843 है. नहरी मय गै.मु. आराजी का वादी संख्या 4 बुधराम को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। (5) चक 1 यू एम डब्ल्यू जमाबंदी सम्वत 2071-2074 खाता संख्या 9/7 मु.न. 14 कि.न. 9/2 में 0.085 है. नहरी, कि.न. 10 में 0.253 है. नहरी, कि.न. 11 में 0.253 है. नहरी, कि.न. 12 में 0.253 है. नहरी कुल 0.844 है. नहरी आराजी का वादी संख्या 5 रामनिवास को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। (6) चक 1 यू एम डब्ल्यू जमाबंदी सम्वत 2071-2074 खाता संख्या 9/7 मु.न. 14 कि.न. 6/2 में 0.131 है. नहरी, 0.038 है. गै.मु. रास्ता, कि.न. 7 में 0.253 है. नहरी, कि.न .8 में 0.253 है. नहरी, कि.न. 9/1 में 0.168 है. नहरी कुल 0.843 है. नहरी मय गै.मु. आराजी का वादी संख्या 6 रामदयाल को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। एव वादीगण को प्राप्त आराजी से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाता है। उक्तानुसार ही वादीगण का खाता अलग कायम किया जाकर वादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। निर्धारित स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर उक्तानुसार ही पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैंसल शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.2.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



Edam/MS
28.2.2020
हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

